"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक. टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2003—ज्येष्ठ 23, शक 1925

विषय--सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक एफ 2-34/2003/1-8.—श्री टामन सिंह, सोनवानी, रा. प्र. से., उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर को पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भी घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 402/2003/1-8/श्री ए. के. द्विवेदी, (भा. व. से.) संयुक्त सचिव, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, को दिनांक 16-4-2003 से 9-5-2003 तक 24 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी को संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. श्री ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री राम सिंह ठाकुर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ देखेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. द्विवेदी, (भा. व. से.) अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक 420/2003/1-8/स्था.—श्री बी. एल. ठाकुर, विशेष सचिव, खनिज साधन विभाग, को दिनांक 23-4-2003 से 7-5-2003 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को विशेष सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. ठाकुर, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 348/2003/1-8/स्था.—श्री बी. एल. पवार, स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, को दिनांक 1-5-2003 से 9-5-2003 तक 9 दिन तथा दिनांक 19-5-2003 से 24-5-2003 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 25-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवार को स्टाफ आफिसर, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4 प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. पवार, अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 350/2003/1-8/स्था.—श्री अभय कुमार मिश्रा, (रा. प्र. से.) विशेष सहायक मंत्री, खाद्य विभाग, को दिनांक 2-6-2003 से 28-6-2003 तक 27 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 29 जून 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को विशेष सहायक, मंत्री खाद्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार मिश्रा, (रा. प्र. से.) अवकाश, पर नहीं जाते तो विशेष सहायक, मंत्री खाद्य विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 396/2003/1-8/स्था.—श्री आर. के. श्रीवास्तव, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, को दिनांक 30-5-2003 से 13-6-2003 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 14 एवं 15 जून 2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव को उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 398/2003/1-8/स्था.—श्री जे. एस. दीक्षित, (रा. प्र. से.) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण नगरीय विकास विभाग, को दिनांक 4-6-2003 से 10-6-2003 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दीक्षित को अवर सचिव, पर्यावरण नगरीय विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. दीक्षित, (रा. प्र. से.) अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, पर्यावरण नगरीय विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 400/2003/1-8.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, अवर सचिव, वित्त विभाग, को दिनांक 11-6-2003 से 25-6-2003 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चक्रवर्ती को अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चक्रवर्ती, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 1307/950/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-5-2003 द्वारा, श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 12-5-2003 से 24-5-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 2-6-2003 से 13-6-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-6-2003 एवं 14-15-6-2003 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल मे श्री अजय सिंह, को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री सिंह की अवकाश अवधि में सचिव, ऊर्जा का चालू प्रभार, श्री विवेक ढांड सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक 1311/915/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव (वित्त) को दिनांक 19-5-2003 से 20-6-2003 तक (33 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16, 17, 18-5-2003 एवं 21, 22-6-2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है. तथा विदेश यात्रा (अमेरिका) की अनुमति भी दी जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय को अपर मुख्य सचिव (वित्त) के पद पर अस्थायी रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. श्री विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव (वित्त) के अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. इंदिरा मिश्रा, अपर मुख्य सचिव एवं श्री डी. एस. मिश्रा, आयुक्त वाणिज्य कर, पदेन सचिव, वित्त एवं योजना अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

विभागीय परीक्षा माह जुलाई, 2003 का सूचना तथा कार्यक्रम

रायपुर, दिनांक 22 मई 2003

क्रमांक एफ 9-52/गृह/2003.—छत्तीसगढ़ के उन अधिकारियों को (जिनके लिये उनके विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2003 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2003

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2003

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-सी.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा वे स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	
	बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2003	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए. (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्नपत्र-प्रदाय वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्र पालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों को ''पुलिस शाखा'' प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग 1, लेखा, भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए.	
	गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2003	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2003	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र-भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए.	दोपहर 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारो जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा. प्रश्नपत्र-भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की ''व्यवहारिक परीक्षा'' (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि वन कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2003	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों के सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54/98/दो ए/3 दिनांक 19-3-99 एवं एफ-3/102/90/दो-ए (3) दिनांक 3-54/98/दो/ए (3) दिनांक 8-5-91 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जायेगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लाना होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का उल्लेख किया जावें.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. आ., से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ वे प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर सूची में दर्शाये अनुसार को दिनांक 3 जून, 2003 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 1404/एफ-73/39/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''एम एन आर एवं ए एस आर के यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''एम एन आर एवं ए एस आर के यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 25th March 2003

No. 1404/F-73/39/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-Section (1) of section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "M N R & A S R K UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.)

2. The State Government, hereby, authorises "M N R & A S R K UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be reognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक एफ 75-54/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''मेट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''मेट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th May 2003

No. F 73-54/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, established a university known as "MATS UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.)

2. The State Government, hereby, authorises "MATS UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक एफ 73-68/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "ऐमिटी यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "ऐमिटी यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 12th June 2003

No. F 73-68/2003/H.E./38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "AMITY UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "AMITY UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	पाण्डरवाही	16.27	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	जलाशय निर्माण कार्य के लिए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	सिवनी प.ह.नं. 3	0.238	मुख्य अभियंता (सी) द. पू. रेल्वे बिलासपुर (छ. ग.)	बालपुर चाम्पा रेल्वे निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., चाम्पा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चाम्पा प.ह.नं. 2	0.599	डिप्टी चीफ इंजिनीयर कंट्रक्शन एस. ई. रेल्वे, बिलासपुर	चाम्पा रेल्वे बाई पास निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चाम्पा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नवागांव	7.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा	नवागांव जलाशय के अंतर्गत छलका नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., चाम्पा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू- अर्जन/1155.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बाराद्वार बस्ती प.ह.नं. 15	0.546	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती	मौहाभाठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1156.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बेलहडीह प.ह.नं. 11	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती	हरदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1157.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	पोंड़ीशंकर प.ह.नं. 16	0.073	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	महुआडीह उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1158.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	पोंड़ीशंकर प.ह.नं. 16	0.202	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	लखुर्री उपशाखा नहर निर्माण. हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1159.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चारपारा प.ह.नं. 15	0.065	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	बड़गड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 749/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	देवरी	10.47	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	पचपेड़ी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 748/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	परसदा	7.50	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	पचपेड़ी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखाज ा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 217/अ-82./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	गांगपुर	3.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भुरकी जलाशय योजना के. स्पिल चेनल एवं बांयी नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 219/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	भुरकी	4.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भुरकी जलाशय योजना के नहर प्रणाली के अंतर्गत

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 221/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	ढोलिया	8.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा	ढोलिया जलाशय निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक 932/ले.पा./भू-अर्जन/2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	खामतराई प.ह.नं. 6	4.98	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	कन्याडबरी माईनर का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम क्रमांक एक सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमागोहन	0.437	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	भवन निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2003

भू-प्र. क्रमांक-4/अ-82/2002ज2003.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम क्रमांक एक सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	0.697	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, रतनपुर.	प्रिदयदर्शनी बस स्टैण्ड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 फरवरी 2003

क्रमांक 593/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	मुस्की प.ह.नं. 141/88	0.23	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	कोडार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्रमांक 583/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	फुलवारी खुर्द प.ह.नं. 108	0.14	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 मार्च 2003

क्रमांक 63/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	खोपली प.ह.नं. 118/65	0.75	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 मार्च 2003

क्रमांक 631/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	सेनभाठा प.ह.नं. 113/60	2.51	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	अपर जोंक परियोजना के सेनभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21मार्च 2003

क्रमांक 630/अ.वि.अ./भू-अर्जन/25 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	फुलवारी प.ह.नं. 109	1.95	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 5 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक 640/अ.वि.अ./भू-अर्जन/29 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	बाघामुड़ा प.ह.नं. 105/52	3.05	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	देवरी जलाशय के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक 641/अ.वि.अ./भू-अर्जन/30अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	गांजर प.ह.नं. 103	0.03	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	गांजर जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 अप्रैल 2003

क्रमांक 950/अ.वि.अ./भू-अर्जन/31 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	परसुली प.ह.नं. 113/60	3.15	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	अपर जोंक परियोजना के परसुली माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 अप्रैल 2003

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/33 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	नवागांवकला प.ह.नं. 118/65	2.19	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	चंडी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 अप्रैल 2003

क्रमांक 663/अ.वि.अ./भू-अर्जन/34 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	घुंचापाली प.ह.नं. 118/65	0.74	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	चंडी डोंगरी जलशय के माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 645/अ.वि.अ./भू-अर्जन/26 अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	फुलवारी खुर्द प.ह.नं. 108	1.91	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत आने वाली शाखा नहर क्र. 5 का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	पाली प.ह.नं. 126/73	1.09	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	सोराम सिंघी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/ अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	अमलीडीह प.ह.नं. 115/52	0.21	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	बोडरा बांधा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 691/अ.वि.अ./भू-अर्जन/40-अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	बिजेपुर प.ह.नं. 46	2.01	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लो. नि. वि., रायपुर (छ.ग.).	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 के कि. मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 691/अ.वि.अ./भू-अर्जन/ 41-अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	सांकरा प.ह.नं. 46	7.72	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लो. नि. वि., रायपुर (छ.ग.).	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 के कि. मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 39-प्र. 1.2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1) सन् 1894 की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गाडाडीह, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
372	1.07
775	0.19
779	0.26
786/3	0.01
373	0.98
776	0.30
778	0.50
786/6	0.01
774	0.22
777	0.06
786/1	0.38
योग	3.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-गाडाडीह जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अति. सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्रमांक 166/रीडर/2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1) सन् 1894 की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-[illegible], प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
363	0.12
361	0.02
370	0.13
372	0.16
373	0.07
354/2	0.05
375	0.16
372	0.01
403	0.15
400	0.08
399	0.10
413	0.12
415	0.06
411	0.04
412	0.10
492	0.10
462	0.01
500	0.20
579	0.08
586	0.15

(1)	(2)
479	0.01
574	0.08
577	0.09
578	0.02
576	0.07
301/1	0.04
575	0.27
356	0.04
418	0.04
345	0.01
416	0.04
401	0.03
417	0.04
355	0.03
358	0.07
299	0.07
300	0.05
481	0.08
275/1	0.28
362	0.03
491	0.03
456	0.10
452	0.03
459/618	0.016
460/619	0.160
455	0.160
454	0.040
571	0.010
461	0.024
273	0.180
453	0.010
460	0.140
योग	4.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर नाली पाइप लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./02 अ/82/ सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1) सन् 1894 की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-अछोला, प. ह. नं. 3/3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अछोली सब माइनर	
2120	0.012
2119	0.032
2115	0.068
2114	0.045
2105	0.048
2099	0.036
2098	0.032
2058	0.040
2062	0.048
1998	0.012
1997	0.040
1996	0.132
1995	0.049
योग 13	0.593
अछोला सब माइनर	
2162	0.040
2161	0.040
2160	0.032
2157	0.080

	(1)	(2)
	1593	0.080
	1579	0.044
	1584	0.116
	1582	0.016
	1583	0.060
	1546	0.132
	1331	0.020
	1333	0.076
	1334	0.016
योग	13	0.752
कुल योग	26	1.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत अछोली सब माइनर एवं अछोला सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./01 अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1) सन् 1894 की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-नवागाँव कला, प. ह. नं. 118/65

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.695 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.312
6	
7/2	
35/15	
35/16	
32/2	0.162
29/2	0.056
27	0.439
28	
23	0.123
98	0.129
145	0.061
146/2	
173	0.020
174	
21	0.212
19/1	0.212
176/1	0.161
177/1	
16/3	0.154
17/2	
18/3	
18/4	
18/5	
18/6	
18/7	
18/9	
18/10	
18/11	
18/12	
18/13	
18/14	
18/15	
18/1	0.024
18/8	
72/1	0.146
73/1	0.202
246	0.017
73/6	0.251
82	0.122

(1)	(2)
80/1	0.130
80/3	0.139
81/2	
80/2	0.107
79/2	0.008
79/1	0.154
80/4	0.101
81/1	
97/1	0.194
97/3	0.032
91	0.068
92	
93/1	
96/22	
107	
106	0.057
138	0.065
159/4	0.073
160	
149/6-7	0.065
171	0.081
172	0.008
175	0.032
144/2	0.016
144/3	
161	0.008
170	0.004
168	0.251
241	0.048
243	
156	0.008
176/2	0.040
244	
176/3	0.089
177/2	
178/5	0.064
242	0.234
207	0.194
208	
210/2	0.048
210/1	
214/2	0.311
232/2	
121/1	0.230
214/1	
231	0.186
230/1	0.048
218/1	0.089
219	0.428
221	
222	
217/1	0.105
216/1	0.064
217/2	0.113
योग 55	6.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चण्डी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 620/भू-अर्जन/अ.वि.अ./09 अ-82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बेलसोंडा, प. ह. नं. 140
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149/27	0.16
योग	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 74/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-करपीपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.101
3/2	0.081
9	0.117
14/1	0.061
178/1	0.081
15/1	0.053
15/2	0.053
20/2	0.032
295	0.004
21/4	0.223
21/1	0.057
26/1	
22/2	0.012
23/1	0.032
28	0.061
151/3	0.069
29	0.069
27/2	0.032
159/1	0.089
160	0.125
32/3	0.093
31	
150/2	0.210
32/2	0.036
42/2	
41/3	0.057
41/2	0.121
41/4	0.057
135/4	0.057
137/1	0.004
135/1	0.073
147/2	0.012
148/2	
190/2	0.061
190/5	0.012
150/1	0.049
158	0.012
297/1	0.053
293	0.036
370	0.016
161	0.020
304/1	0.162

(1)	(2)
162/3	0.057
178/2	0.081
190/4	0.061
190/1, 197/1	0.028
301/3	0.069
302/2	0.049
301/4	0.040
294	0.065
297/2	0.150
303/2	0.227
योग 48	3.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 78/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमाडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.732 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
93/3	0.109
94/6	0.040
94/13	0.004
93/6	0.178
94/2	0.134
93/14	0.045
94/3	0.040
94/4	0.053
94/8	0.113
96/1 ग	0.008
96/1 घ	0.008
योग 11	0.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 04/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-परसकोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.434 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
323/1	0.020
374/6	0.004
355/1, 356/1	0.081

(1)	(2)
357/1	0.081
379	0.340
358/1	0.012
358/4	0.036
358/2	0.077
358/3	0.077
371	0.040
378	0.008
372/508	0.004
372/2	0.008
373/2	0.129
374/2	0.004
374/3	0.057
403/1	0.162
404/3	0.073
405	0.036
406	0.077
410/2	0.077
426	0.113
428/1	0.089
428/2	0.081
428/3	0.024
429/2	0.109
485	0.109
486	0.210
488	0.190
374/8	0.057
403/8	0.049
योग 31	2.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 05/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-औंरदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.011 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.247
3/1	0.174
3/3	0.012
60/1	0.032
70	0.164
71/1	0.170
71/2	0.008
71/3	0.073
72/1क/1	0.012
72/1 ख	0.016
72/2	0.045
72/4	0.069
72/8	0.077
73/2	0.081
74/1	0.413
80/1 क	0.028
81	0.162
82/2	0.154
82/1	0.364
135/1	0.073
82/3	0.206
119/1	0.299
119/3	0.061
127/1	0.340
127/2	0.113
130/1 } 2 130/2	0.061
135/3	0.105
128/4	0.028
129/2	0.081
130/4	0.036
130/3	0.129

(1)	(2)
136	0.093
138, 139 } 1	0.012
130/1, 130/2 } 3	0.073
योग 34	4.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 06/अ-82/2002-03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तुरेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.067 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
226	0.008
248/3	0.065
264/2	0.024
249	0.053
255	0.004
250	0.081
251/3	0.065
251/4	0.134
436/2	0.065
256	0.101
257/1	0.105
264/1	0.121
265	0.101
266/2	0.020
280/2 ख	0.016
280/1	0.069
271	0.004
284	0.004
254	0.012
285	0.093
413/1	0.089
286	0.158
406	0.045
287/1	0.040
289/2	0.016
290/1	0.069
290/2	0.117
291/1	0.012
309	0.081
319/1	0.065
291/2	0.089
319/7	0.036
301, 308	0.040
310	0.008
311	0.089
323/2, 324/1, 330/2	0.004
358	0.061
377/1	0.061
414	0.004
405	0.239
412	0.081
362	0.146
363/1	0.085
378	0.081
411/1	0.028
411/2	0.032
267/2	0.004

(1)	(2)
258	0.142
योग 48	3.067

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 07/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-उल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/2	0.080
20	0.054
34/2 ग	0.038
42/5	
43/1	
35/2	0.045
53/1	0.012
177/5	0.081
38/1	0.227
39	
170/3	
171/2	
50/2	
51/2	
52/1	
51/1	
175/1	
41/9	0.061
42/6	0.028
44	0.093
94	0.041
123	0.024
175/2	0.045
51/3	0.025
172/3	0.016
176/2	0.063
177/3	0.074
60/2	0.012
88	0.178
91	0.003
92	
102	0.040
120/1	0.052
62/2 ख	0.040
178/3	
232/3	0.089
87/542/1	0.159
87/542/3	0.019
योग 31	1.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 08/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पलगढ़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.329 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.041
157	0.425
3	0.061
4/1	0.053
5/1	
11/2	0.016
11/1	0.052
147	0.065
148	
149	0.122
283/362	0.065
333/2	0.028
335	0.032
336	0.009
326/1 ढ	0.134
356/2	0.178
357	0.048
योग 15	1.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 09/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बरगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/5	0.042
82/2 घ	0.017
195/9	0.101
197/3	0.022
195/11	0.244
197/2	0.011
198/2	
175/4	0.032
214/2	0.108
215	
216	
217/2	0.021
222/2	0.042
223/2	0.012
224/4	
योग 11	0.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 10/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-लोधिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	149/1	0.040
	153/6	0.089
	153/9	0.174
योग	3	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 11/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.091 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	437/8, 439/2	0.020
	437/9, 439/3	0.036
	439/4, 440/1	0.036
	440/2	0.036
	440/3, 470/1	0.036
	440/4, 470/2	0.032
	471/3	0.061
	471/2	0.097
	468/8	0.097
	468/10	0.008
	468/3	0.073
	468/11	0.150
	474/1	0.020
	473/5	0.065
	473/6	0.134
	473/8, 475/2	0.158
	473/7	0.032
योग	17	1.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 13/अ-82/2002-031—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	338/5	0.142
	338/4	0.032
	238/2	0.024
	238/1	0.166
	240	0.069
	241	0.150
	242	0.040
	245	0.146
	233	0.049
	234	0.020
	235	0.069
	236	0.069
	237	0.028
	239/2	0.081
योग	14	1.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 25/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	89/5 98/4	0.029
	89/8	0.109
	94	0.117
	95	0.117
योग	4	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 28/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भैनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 31/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.065
54	0.190
योग	0.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 49/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आड़पथरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.699 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292/2 ख	0.134
293/2	0.142
292/2	0.024
298	0.008
303	0.097
308	0.069
301/2	0.008
302	0.121
304	0.004

(1)	(2)
305/1	0.016
309/1 क	0.016
306	0.259
315	0.295
316	0.053
317/2	0.085
317/1 क	0.061
317/1 ख	0.032
319/4	0.105
319/5	0.105
320/3	0.049
292/1 ग	0.016
योग 21	1.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 57/अ-82/2002-03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
69/5	0.053
69/6	0.105
69/1	0.097
69/3	0.061
69/4	0.012
योग 5	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 58/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
117/2	0.008
130/4	0.182
130/1	0.032
117/1	0.008
129/4	0.085
116	0.016
139/6	0.012
140/1	0.097
139/1	0.069

(1)	(2)
139/9	0.081
109	0.008
140/2	0.283
97/1	0.101
111	0.016
119	0.032
108	0.057
115	0.016
118	0.028
112/1	0.032
114	0.028
112/2	0.032
113	0.028
120	0.008
109/4	0.008
93	0.113
योग 25	1.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 59/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-मदनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.067 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/3	0.041
230/233	0.032
237/2	0.089
141	0.012
238	0.339
305/2	0.053
252	0.065
277/2	0.065
277/1	0.239
276/1	0.105
276/3	0.032
275/1	0.170
275/2	
274/1 क	0.016
304	
305/1	0.024
306	0.243
316/2	0.129
317/3	0.121
318/1	0.041
319/1	
318/3	0.251
319/3	
योग 19	2.067

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 60/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-औरदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232/261/1	0.082
232/1	
235	0.022
248	0.084
250/1	0.032
252	0.025
253/2	
254	
योग 5	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 61/अ-82/2002-03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-भागोडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.616 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.125
13	0.049
29	0.057
14	0.623
15	0.385
16/1	0.186
31/1	0.085
16/2	0.049
31/2	0.032
16/3	0.101
17/3	0.117
17/6	0.057
32	0.283
35/1	0.057
35/2	0.085
37/3	0.174
35/3	0.061
35/4	0.045
36	0.065
योग 19	2.616

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 62/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141	0.036
योग 1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 63/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-गोपीमहका
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.404 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1	0.170
13	
14	
19/3	
20/5	
12/2	0.105
20/2	
19/5	0.231
20/6	
21/7	
17	0.142
19/4	0.134
20/1	
21/1	
19/6	0.061
20/6	0.049
21/4	0.109
21/5	0.081
21/7	0.162
22	0.105
28/4	0.109
28/1	0.129
28/2	0.125
29	0.109
30/1	0.231
31/1	0.202
31/3	0.150
योग 18	2.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 64/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-रतनमहका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.097
3/1	0.016
योग 2	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 65/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-गोपीमहका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.061
66/1	0.024
53/3 54/3	0.072
53/2 54/2	0.032
58/1	0.080
58/3	0.082
64/1 65/1	0.120
64/3 65/3	0.064
95/2 94	0.032
96/3	0.102
102/1	0.139
102/2	0.065
103/1	0.024
105/2 106/2	0.016
106/1	0.071
106/3	0.028
107/1	0.045
योग 17	1.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 66/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-चपले
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
533/1 झ	0.045
533/11	0.101
533/1 ज	0.113
470/4	0.016
471	0.036
470/5 क	0.024
470/13	0.073
470/16	0.024
474/1	0.040
474/4	0.081
101	0.069
102	0.012
103/3	0.081
103/4	0.069
97	0.024
98/3	0.036
60	0.109
98/1	0.105
59/1	0.020
61	0.093
100	0.049
79/3	0.024
78	0.036
79/4	0.008
53/8, 77/8	0.081
53/10, 77/10	0.057
53/9, 77/9	0.049
53/6, 77/6	0.004
45/5, 65, 66, 67	0.101
73/3, 449/2	0.061
68	0.077
45/16, 69/2	0.012
45/15	0.053
26/4	0.024
26/8	0.016
26/9	0.016
26/1	0.069
25	0.113
29/2	0.040
27/1	0.008
27/3	0.028
योग 41	2.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 67/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-टायंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
137/4	0.024
137/5	0.134
136/2	0.008
136/1	0.020

(1)	(2)
159	0.109
158/1	0.012
153 / 154 (6)	0.040
158/2	0.036
153 / 154 (1)	0.004
152/2	0.049
152/3 ग	0.036
152/4	0.093
152/3 ख	0.057
149/2	0.081
151	0.012
150	0.093
146/1	0.004
149/1	0.081
147/2	0.138
147/1	0.081
योग 20	1.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 68/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बायंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.716 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
87/1	0.016
90	0.008
89	0.360
110	0.292
111/3	0.016
257/1	0.024
योग 6	0.716

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 69/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-ठुसेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/4	0.008
1/9	0.154
11/2	0.076
13/1	0.041

	(1)	(2)
	13/4	0.114
	14/1	0.002
	14/2	0.002
	16	0.008
योग	8	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.70/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सुती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	228/1	0.109
	229/1	0.073
	238 240	0.065
	229/2	0.037
	253/3	0.008
योग	5	0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.71/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.931 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
138	0.344
140/2	0.004
140/3	0.004
141/2	0.053
141/1	0.089
141/8	0.073
141/13	0.089
143	0.097

(1)	(2)
143	0.178
योग 9	0.931

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.73/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तिऊर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.905 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
63/1	0.215
56/1	0.251
49/2	0.097
522/3	0.081
521/2	0.198
729/1	0.036
855/2	0.012
752	0.158
757/2	0.028
754/1	0.086
64/1	0.008
48/2	0.077
47	0.138
27	0.093
522/1ङ	0.251
730/3	0.069
748	0.061
855/1	0.097
757/1	0.142
650/1	0.150
55/1	0.288
58/2	0.057
20/1	0.109
729/2	0.138
522/1 ग	0.020
727	0.138
750/1	0.089
754/2	0.016
649/1	0.016
650/2	0.044
65/2	0.008
49/3	0.130
522/1 छ	0.085
749	0.024
731/2	0.093
726/2	0.065
751/1	0.094
854	0.004
649/2	0.020
651/1 651/3	0.158
652	0.061
योग 41	3.905

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.76/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- रायगढ़
- (ख) तहसील- खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-वसनाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
103/1	0.061
118/1	0.121
567	0.008
571	0.020
570	0.077
568	0.142
566	0.146
565	0.040
507/2	0.113
511/2	0.081
717	0.117
563/2	0.004
560/6	0.012
560/5	0.061
548/1	0.040
248/2	0.251
549	
545	0.008
538	0.174
526	0.134
714	0.146
525	0.134
512/3	0.081
520/1	0.065
520/2	0.101
520/3	0.004
519	0.186
512/1	0.101
713	0.032
716	0.057
500/1	0.008
720	0.174
718	0.008
719/3	0.065
724	0.028
719/2	0.101
726/2	0.008
563/1	0.081
715/1	0.146
योग 38	3.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.77/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला -रायगढ़
- (ख) तहसील- खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम--फूलबंधिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.564 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52	0.097
66	0.012
53	0.085
47	0.154
48	0.032
43	0.275
44	0.053
62	0.283
90	0.085
67	0.004
85	0.008
83	0.105
91	0.093
84	0.125
120/3	0.008
94	0.012
95/1	0.053
95/2	0.057
123/6	0.004
292/3	0.081
292/4	
123/10	0.085
99/2	0.061
123/2	0.032
120/2	0.125
118/2	0.020
118/1	0.012
113	0.109
115	0.008
114	0.182
111/1	0.012
292/5	0.008
288	0.081
292/1	0.154
297	0.049
योग 34	2.564

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.79/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319/4	0.020
319/5	0.012
319/11	0.028
319/23	0.069
319/28	0.073
319/6	0.045
319/10	0.053
319/29	0.016
319/30	
319/9	0.097
319/19	0.061
319/24	0.049
319/31	0.032
319/33	0.012
332/1	0.004
332/2	0.097
332/10	0.028
335/1	0.012
335/7	0.117
335/2	0.154
339/6क	
339/7	
339/8	
339/9	
340/3	

(1)	(2)
335/4	0.020
335/3	0.218
336/2	0.170
338/6	0.073
337	0.069
योग 24	1.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.80/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पथरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.935 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362/3	0.004
364/2	0.024
363/2	0.061
364/1	0.101
368/2	0.016
382/4	0.024
365	0.162
366	0.020
367	0.033
377/6	0.097
336/2	0.142
383/3	0.121
382/1	0.004
382/3	0.061
384/2	0.077
385/2	0.081
386/1	0.097
408/1	0.182
409	0.061
413/3	0.008
433	0.247
413/6	0.020
417/1	0.061
418	0.008
425/2	0.061
430	0.065
431	0.065
432	0.032
योग 28	1.935

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.81/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेदेवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
291/3	0.125
291/4	0.085
291/5	0.012
291/10	0.113
योग 4	0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.82/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-करूमौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1 2/1	0.073
2/2	0.065
5/5	0.085
5/3	0.065
16/2	0.040
16/5	0.109
16/6	0.012
19/2 21 22 26/3 26/1	0.462
19/3	0.012
127/2	0.004
23/3	0.004
126/1	0.138
126/2	0.036
124	0.061
145	0.008
122	0.008
योग 16	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.83/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेमुड़पार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.093

(1)	(2)
7/2	0.105
5/3	0.146
20/4	0.012
20/5	
18/6	0.154
19/3	0.016
29/10	0.174
28/4	0.117
192/2	0.154
29/4	0.081
28/3	0.024
199/2	0.004
200/1	0.097
200/3	0.134
192/4	0.077
201/2	0.008
196/4	0.057
197/2	0.065
197/1	0.012
203/2	0.121
203/5	0.158
239/1	0.036
217/3	0.077
240	0.045
241/1	0.069
189/1	0.028
योग 26	2.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र.84/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडुमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.999 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/5	0.032
20/1	0.016
481/1 घ	0.449
476/1	
21/10	0.486
21/5	0.089
390/4	0.077
390/3	0.150
390/2	0.028
390/1	0.045
392/3	0.259
392/2	0.170
423	0.174
411/5	0.073
391	0.049
412/1	0.008
412/2	0.085
411/7	0.186
411/12	0.085
422/1	0.089
460/6	0.049
460/2	0.089
463/1	0.178
463/5	0.121
463/6	
463/7	0.012
योग 24	2.999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.